रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3002] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939
No. 3002] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2017

**का.आ. 3433(अ).**—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

## प्रारूप अधिसूचना

**और,** कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कंधमाल जिले के बलिगुडा वन प्रभाग में स्थित है। यह उड़ीसा में भुवनेश्वर से लगभग 350 किलोमीटर, फूलबनी से 135 किलोमीटर और रायगढ़ से 100 किलोमीटर स्थित है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 399.5 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 269.5096 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 10 वन खंड और 129.9904 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का राजस्व क्षेत्र शामिल है;

**और,** यह अभयारण्य वृक्षों की 165 प्रजातियों, औषधियों की 132 प्रजातियों, लताओं की 48 प्रजातियों, स्तनपायियों की 43 प्रजातियों और पक्षियों की 44 प्रजातियों के साथ वनस्पति और जीव-जन्तुओं की विभिन्नता के लिए जाना जाता है और यह कोटागढ़-चन्द्रपुर हाथी गलियारे का अभिन्न भाग है ;

**और,** इस अभयारण्य की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां शाल और उसकी उप-प्रजातियां हैं। इस अभायारण्य में हाथी(*एलीफस मैक्सिमस*), बनैला सूअर(*सस स्क्रोफ़ा*), भालू(*उर्सस एसपी*), तेंदुआ *(पैंथेरा पार्डस),* मुंजक (*मंटिया कुसमंटजक*), खरगोश (*लिपस एसपी*) और सांभर *(रशिया यूनीक्लोर)* जैसे वन्य पशु पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त, यहां साल(*फिलीडाटा एसपी*), धनेश(*बुसेरस एसपी*), मोर(*पावो*

*क्रिस्टैटस*) और कई प्रकार के सरीसृप और पक्षी भी पाए जाते हैं। यहां उत्तर भारत के प्रायद्वीपीय शाल वन प्रकार के वन तथा चैम्पियन और सेठ के वर्गीकरण के अनुसार चांदी ग्रे लकड़ी (*टर्मिनलिया टोमेंटोसा*) और ड्राई बेम्बू ब्रेक्स के सीमित खंड भी हैं;

**और,** अभयारण्य का उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी भाग चंद्रपुर हाथी गलियारे का एक भाग है जो लखारी घाटी अभयारण्य तथा कालाहांडी वन प्रभाग से रायगढ़ वन प्रभाग की मुनीगढ़ रेंज से होते हुए हाथियों के जाने का मार्ग है। इस अभयारण्य के अन्य क्षेत्र वन भूमि और निवास क्षेत्र, धान के खेत, मार्ग, नदी, नाले इत्यादि हैं;

**और,** कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

**अतः,** अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा राज्य में कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तृत कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक है। इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र लगभग 1400.78 वर्ग किलोमीटर है।

(2) कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध I और** अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक **उपाबंध I (क) और I(ख)** के रुप में संलग्न है।

(3) कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध II** के रूप में संलग्न हैं।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांकों तथा इसके अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है |

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार, वन क्षेत्र और गैर-वन तंत्र दोनों सम्मिलित हैं:-

| **जिले का नाम** | **वन क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)** | **राजस्व क्षेत्र** | | **कुल क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) में** |
|---|---|---|---|---|
| | | **ग्रामों की संख्या** | **क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) में** | |
| कंधामल | 723.73 | 136 | 592.13 | 1315.86 |
| रायगढ़ | 58.96 | 23 | 25.96 | 84.92 |
| **कुल** | **782.69** | **159** | **618.09** | **1400.78** |

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का अनुपालन करके आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) इस प्रकार तैयार की गई आंचलिक महायोजना अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुबंधो के अनुरूप होगी और उसमें पर्यावरणीय सरोकार शामिल होंगे।

(3) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरुप तैयार की जाएगी ।

(5) आंचलिक महायोजना संबंधित राज्य सरकार के सभी विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ; और

(viii) उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(6) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों की बेहतरी की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(8) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महा-योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(9) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा तथा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्टानुसार निषिद्ध किए गए, विनियमित किए और बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापों सम्बधी व्यवस्था का पालन किया जाएगा ताकि स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के किए पारिस्थितिकी- अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके ।

(10) आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधों से सम्बधित उसके कर्तव्यों के संपादन का विवरण होगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

**(1) भू-उपयोग -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का वाणिज्य और उद्योग संबंधी विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु, निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा- 4 की सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि के संपरिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(ii) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे कि तंबू और लकड़ी के मकान;

(iii) वर्षा जल संचय, और

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग :

परंतु यह भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह भी कि वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र जैसे हरित क्षेत्र में कोई पारिणामी कमी नहीं की जाएगी और अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

**(2) प्राकृतिक जल स्रोत** - सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के जल आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा इस रीति से जल आवाह प्रबंधन योजना बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

**(3) पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना का भाग होगें ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना, राजस्व और वन विभाग, ओड़िशा राज्य सरकार के परामर्श से पर्यटन विभाग, ओड़िशा राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, नए होटलों और रिजॉटों की स्थापना, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना के अनुसार, पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) **निगरानी समिति** -- पहली निगरानी समिति की अवधि के पूरा होने पर, राज्य सरकार मामले को केंद्रीय सरकार को भेजे बिना, पैरा 5 में दिए गए संघटन के अनुसार परवर्ती निगरानी समितियों का पुनर्गठन करेगी।

(5) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर, उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की उपयुक्त योजना बनायी जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(6) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा उन्हे आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा।

(7) **ध्वनि प्रदूषण**– ओड़िशा राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा ।

(8) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पालन किया जाएगा ।

(9) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के अनुसार किया जाएगा।

(10) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(11) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(12) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(13) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय- समय पर संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(15) **वाहन-यातायात: -** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

**(16)** केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध अथवा विनियमित या प्रोत्साहित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शासित होंगे तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

| **क्रम सं.** | **क्रियाकलाप** | **विवरण** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | **क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप** | |
| 1. | वाणिज्यिक खनन । | (क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाना शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ;<br>(ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे। |
| 2. | प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) करने वाले उद्योगों की स्थापना । | पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी।<br>जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। |
| 3. | बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| 4. | किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| 5. | प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| 6. | नई आरा मिलों की स्थापना। | पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । |
| 7. | ईंट भट्टों की स्थापना । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । |
| | **ख. विनियमित क्रियाकलाप** | |
| 8. | होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना। | पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नही होंगे।<br>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा। |
| 9. | संनिर्माण क्रियाकलाप । | (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:<br>परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी :-<br>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;<br>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;<br>(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग;<br>(iv) कुटीर उद्योग, जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुख सुविधाएं जिनमें अंतर्गत ग्रह वास भी हैं; और<br>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रोत्साहन दिए गए क्रियाकलाप ।<br>परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे ।<br>(ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे । |
| 10. | गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग। | फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे। |
| 11. | वृक्षों की कटाई । | (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।<br>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । |
| 12. | वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |

| | | |
|---|---|---|
| 13. | विद्युत और संचार टॉवर लगाना और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 14. | नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा। | इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौंजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी। |
| 15. | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण । | लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा। |
| 16. | पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाने जैसे क्रियाकलाप करना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 17. | पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 18. | रात्रि में वाहन यातायात का संचलन । | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा । |
| 19. | स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन। | स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा । |
| 20. | प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण । | जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। |
| 21. | सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 22. | कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण । | समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की निगरानी की जाएगी। |
| 23. | ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 24. | विदेशी प्रजातियों को लाना । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 25. | पारिस्थितिकी पर्यटन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 26. | पोलिथीन बैगों का प्रयोग । | पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| 27. | वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । |
| | **ग. संवर्धित क्रियाकलाप** | |
| 28. | वर्षा जल संचयन । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 29. | जैविक खेती। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 30. | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 31. | ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 32. | नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग । | बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 33. | कृषि वानिकी । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 34. | बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 35. | पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 36. | कौशल विकास । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 37. | अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |
| 38. | पर्यावरणीय जागरुकता । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । |

उपर विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों सम्बंधी नियम प्रारूप अधिसूचना के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

**5. निगरानी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए, इस अधिसूचना के जारी होने के तीन माह के भीतर, एक निगरानी समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | जिला कलेक्टर, कंधामल, उड़ीसा सरकार | अध्यक्ष; |
| (ii) | जिला पुलिस अधीक्षक, कंधामल | सदस्य; |

| | | |
|---|---|---|
| (iii) | कलेक्टर, रायगढ़ का प्रतिनिधि | सदस्य; |
| (iv) | पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ का प्रतिनिधि | सदस्य; |
| (v) | पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का उड़ीसा सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि | सदस्य; |
| (vi) | परिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में उड़ीसा सरकार द्वारा नामित एक विशेषज्ञ | सदस्य; |
| (vii) | उड़ीसा राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सचिव-सदस्य या सदस्य | -सदस्य; |
| (viii) | प्रभागीय वन अधिकारी, रायगढ़ | सदस्य; |
| (ix) | क्षेत्रीय अधिकारी, उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और | सदस्य; और |
| (x) | प्रभागीय वन अधिकारी, बल्लीगुन्डा | सदस्य-सचिव। |

**विचारार्थ विषय:-**

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन (3) वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का गठन किए जाने तक होगा।

(3) निगरानी समिति उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में भी आते हैं जिनमें इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप भी शामिल हैं। श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही ''उद्योगों के वर्गीकरण, 2016'' के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पणधारियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे।

**6.** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

**7.** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/42/2015-ईएसजेड/आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध - I**

**पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र**

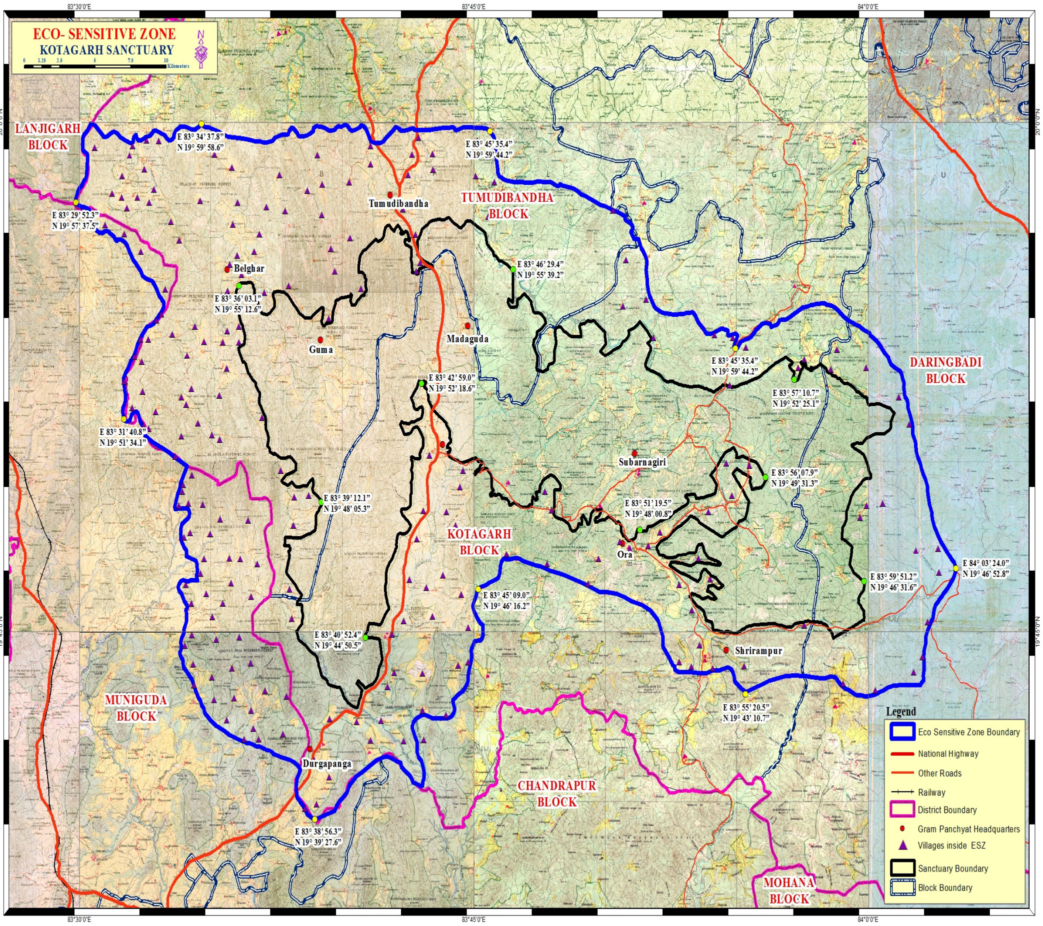


---

**उपाबंध – I(क)**

**कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांक**

| स्तंभ सं. | अक्षांश उ | | | देशांतर पू | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | डिग्री | मिनट | सैकेण्ड | डिग्री | मिनट | सैकेण्ड |
| 1) | 19 | 55 | 14.00 | 83 | 36 | 4.60 |
| 2) | 19 | 54 | 54.70 | 83 | 37 | 22.10 |
| 3) | 19 | 54 | 8.80 | 83 | 38 | 45.80 |
| 4) | 19 | 54 | 54.10 | 83 | 40 | 49.80 |
| 5) | 19 | 56 | 54.90 | 83 | 41 | 49.90 |
| 6) | 19 | 55 | 44.40 | 83 | 43 | 3.40 |
| 7) | 19 | 56 | 38.60 | 83 | 45 | 27.40 |
| 8) | 19 | 54 | 40.80 | 83 | 47 | 12.20 |
| 9) | 19 | 53 | 39.60 | 83 | 47 | 55.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) | 19 | 53 | 9.40 | 83 | 49 | 56.90 |
| 11) | 19 | 52 | 44.20 | 83 | 51 | 36.00 |
| 12) | 19 | 52 | 18.60 | 83 | 54 | 26.20 |
| 13) | 19 | 53 | 6.50 | 83 | 56 | 49.70 |
| 14) | 19 | 52 | 56.20 | 83 | 57 | 31.90 |
| 15) | 19 | 52 | 21.20 | 83 | 58 | 59.70 |
| 16) | 19 | 51 | 12.50 | 84 | 0 | 52.60 |
| 17) | 19 | 49 | 16.60 | 83 | 59 | 37.10 |
| 18) | 19 | 46 | 10.30 | 83 | 59 | 46.10 |
| 19) | 19 | 45 | 18.60 | 83 | 57 | 47.30 |
| 20) | 19 | 45 | 3.20 | 83 | 54 | 6.70 |
| 21) | 19 | 46 | 29.30 | 83 | 54 | 19.10 |
| 22) | 19 | 46 | 59.20 | 83 | 54 | 5.50 |
| 23) | 19 | 47 | 31.50 | 83 | 51 | 58.40 |
| 24) | 19 | 48 | 37.90 | 83 | 55 | 25.20 |
| 25) | 19 | 50 | 4.60 | 83 | 54 | 23.60 |
| 26) | 19 | 49 | 5.60 | 83 | 49 | 54.90 |
| 27) | 19 | 48 | 47.70 | 83 | 47 | 5.50 |
| 28) | 19 | 49 | 40.40 | 83 | 45 | 39.50 |
| 29) | 19 | 50 | 5.80 | 83 | 44 | 13.70 |
| 30) | 19 | 52 | 22.90 | 83 | 42 | 55.30 |
| 31) | 19 | 50 | 49.00 | 83 | 42 | 22.70 |
| 32) | 19 | 49 | 35.60 | 83 | 42 | 39.70 |
| 33) | 19 | 47 | 43.40 | 83 | 42 | 3.90 |
| 34) | 19 | 45 | 26.80 | 83 | 41 | 35.10 |
| 35) | 19 | 44 | 18.70 | 83 | 41 | 30.00 |
| 36) | 19 | 43 | 14.50 | 83 | 40 | 43.60 |
| 37) | 19 | 43 | 26.00 | 83 | 39 | 33.10 |
| 38) | 19 | 45 | 48.40 | 83 | 38 | 26.20 |
| 39) | 19 | 48 | 5.00 | 83 | 38 | 59.20 |
| 40) | 19 | 49 | 39.00 | 83 | 37 | 56.10 |
| 41) | 19 | 52 | 48.10 | 83 | 36 | 21.10 |
| 42) | 19 | 55 | 11.70 | 83 | 36 | 3.40 |

**उपाबंध – I(ख)**

**कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक**

| क्र. सं. | अक्षांश | देशांतर |
|---|---|---|
| 1 | 19° 41' 9.576" उ | 83° 38' 9.523" पू |
| 2 | 19° 41' 41.048" उ | 83° 36' 37.500" पू |
| 3 | 19° 42' 18.344" उ | 83° 35' 7.222" पू |
| 4 | 19° 43' 36.954" उ | 83° 34' 15.943" पू |
| 5 | 19° 45' 0.668" उ | 83° 33' 58.571" पू |
| 6 | 19° 46' 25.625" उ | 83° 33' 48.139" पू |
| 7 | 19° 47' 11.835" उ | 83° 34' 8.401" पू |
| 8 | 19° 48' 31.804" उ | 83° 34' 10.805" पू |
| 9 | 19° 49' 34.075" उ | 83° 33' 56.379" पू |
| 10 | 19° 50' 30.010" उ | 83° 32' 58.491" पू |
| 11 | 19° 51' 19.707" उ | 83° 31' 57.735" पू |
| 12 | 19° 52' 27.491" उ | 83° 31' 40.590" पू |
| 13 | 19° 53' 50.383" उ | 83° 32' 27.388" पू |
| 14 | 19° 55' 0.985" उ | 83° 32' 58.357" पू |
| 15 | 19° 56' 9.933" उ | 83° 31' 55.358" पू |
| 16 | 19° 56' 49.004" उ | 83° 30' 39.466" पू |
| 17 | 19° 57' 47.951" उ | 83° 29' 52.941" पू |
| 18 | 19° 59' 11.333" उ | 83° 30' 8.989" पू |
| 19 | 19° 59' 35.343" उ | 83° 30' 58.982" पू |
| 20 | 19° 59' 29.983" उ | 83° 32' 14.359" पू |
| 21 | 19° 59' 38.139" उ | 83° 33' 35.816" पू |
| 22 | 19° 59' 49.517" उ | 83° 35' 1.946" पू |
| 23 | 19° 59' 27.829" उ | 83° 36' 38.463" पू |
| 24 | 19° 59' 50.995" उ | 83° 38' 6.971" पू |
| 25 | 19° 59' 46.190" उ | 83° 39' 29.830" पू |
| 26 | 19° 59' 46.629" उ | 83° 40' 55.609" पू |
| 27 | 19° 59' 50.287" उ | 83° 42' 10.032" पू |
| 28 | 19° 59' 50.391" उ | 83° 43' 45.555" पू |
| 29 | 19° 59' 50.688" उ | 83° 45' 21.918" पू |
| 30 | 19° 58' 30.696" उ | 83° 45' 54.892" पू |
| 31 | 19° 58' 15.156" उ | 83° 47' 28.569" पू |
| 32 | 19° 57' 56.202" उ | 83° 49' 1.100" पू |
| 33 | 19° 57' 20.134" उ | 83° 50' 32.826" पू |
| 34 | 19° 56' 15.038" उ | 83° 51' 24.685" पू |
| 35 | 19° 54' 45.116" उ | 83° 51' 46.004" पू |

| | | |
|---|---|---|
| 36 | 19° 54' 24.939" उ | 83° 53' 15.504" पू |
| 37 | 19° 53' 54.652" उ | 83° 54' 33.860" पू |
| 38 | 19° 53' 38.177" उ | 83° 55' 24.500" पू |
| 39 | 19° 54' 12.082" उ | 83° 56' 43.834" पू |
| 40 | 19° 54' 40.984" उ | 83° 58' 16.378" पू |
| 41 | 19° 53' 58.120" उ | 83° 59' 43.155" पू |
| 42 | 19° 52' 52.966" उ | 84° 0' 52.450" पू |
| 43 | 19° 51' 33.097" उ | 84° 1' 31.947" पू |
| 44 | 19° 50' 2.174" उ | 84° 1' 56.195" पू |
| 45 | 19° 48' 32.600" उ | 84° 2' 25.110" पू |
| 46 | 19° 47' 9.779" उ | 84° 3' 9.548" पू |
| 47 | 19° 45' 51.965" उ | 84° 2' 37.152" पू |
| 48 | 19° 44' 23.605" उ | 84° 2' 7.333" पू |
| 49 | 19° 43' 26.946" उ | 84° 1' 23.334" पू |
| 50 | 19° 43' 7.461" उ | 83° 59' 47.633" पू |
| 51 | 19° 43' 38.863" उ | 83° 58' 20.396" पू |
| 52 | 19° 43' 40.070" उ | 83° 56' 41.232" पू |
| 53 | 19° 43' 21.718" उ | 83° 55' 9.399" पू |
| 54 | 19° 43' 47.699" उ | 83° 53' 52.864" पू |
| 55 | 19° 44' 12.411" उ | 83° 52' 27.206" पू |
| 56 | 19° 45' 35.110" उ | 83° 51' 45.992" पू |
| 57 | 19° 46' 9.281" उ | 83° 50' 13.970" पू |
| 58 | 19° 46' 36.493" उ | 83° 48' 39.533" पू |
| 59 | 19° 47' 2.049" उ | 83° 47' 3.679" पू |
| 60 | 19° 46' 34.217" उ | 83° 45' 52.664" पू |
| 61 | 19° 45' 29.739" उ | 83° 45' 4.635" पू |
| 62 | 19° 44' 16.949" उ | 83° 44' 55.152" पू |
| 63 | 19° 42' 57.474" उ | 83° 44' 12.167" पू |
| 64 | 19° 42' 33.279" उ | 83° 43' 1.870" पू |
| 65 | 19° 41' 13.670" उ | 83° 42' 57.915" पू |
| 66 | 19° 40' 52.693" उ | 83° 42' 24.954" पू |
| 67 | 19° 41' 2.548" उ | 83° 41' 1.456" पू |
| 68 | 19° 39' 58.420" उ | 83° 39' 51.129" पू |
| 69 | 19° 39' 49.048" उ | 83° 38' 32.362" पू |
| 70 | 19° 41' 9.576" उ | 83° 38' 9.523" पू |

**उपाबंध - II**

**कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कोटागढ़ मुनीगुडा पीडब्ल्यूडी मार्ग तथा कंधामल जिले की ओर दुर्गापंगा से 3 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले की साझी जिला सीमा के मिलन बिंदु से शुरू होती है तथा लगभग 1.5 किलोमीटर तक रायगढ़ और कंधामल की साझी सीमा के साथ-साथ चलते हुए दीक्षणावर्त्त उत्तर पश्चिम दिशा में और फिर तमागुडी आरएफ से सना भिंद्रा होते हुए रायगढ़ के अंदर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है फिर बाणगंगा, मलिगन के गांव की सीमा से होकर उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं और दिनगरपंगा में देपगुडा आरएफ सीमा को छूती है और देपगुड़ा आरएफ सीमा के पास उसी दिशा में मुड़ जाती है तथा टंगीकायरी में रायगढ़ और कंधामल की साझी सीमा को छूती है। फिर यह सराबुली गांव तक उसी दिशा में साझी जिलों की ओर चलते हुए सनामनदुरी, कुमुरूपी होते हुए रघुबरी आरएफ के माध्यम से रायगढ़ जिले में पुन:प्रवेश करती है तथा पुडेनपडार में साझी जिले की सीमा को छूती है। फिर यह साराचांदगड़ी गांव तक कालांडी और कंधामल की जिला सीमा के उत्तर की ओर मुड़ जाती है।

यह साराचांदगुडी से सरधापुर होते हुए झीरीपाती 'ए' आरएफ सीमा के पास पूर्व की ओर मुड़ जाती है और संरुगबारू में बेलघर को छूती है। सुरंगाबारू से यह बेलघर आरएफ के अंदर पूर्व की ओर मुड़ती है तथा गुसुपा गांव के निकट उतेई नाला को पार करती है तथा मुंडीगढ़ 'ए' डीपीएफ के अंदर बढ़कर मटरूगन में एनएच 59 तथा जलेसपता में उसी एनएच को पार करती है। जलेसपता से यह बड़बंधा, डलाबली, जगडी गांव को छूते हुए तुमुदीबंधा यूडीपीएफ के अंदर पूर्व की ओर मुड़ती है। जगदी से यह सिरला तक दक्षिण की ओर मुड़ती है और फिर पूर्व के साथ लगते गांव सिनागुड़ा की ओर मुड़ जाती है। सिनागुड़ा से यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है पूर्व के मध्य से अदागन आरएफ, तब हडागन, बथेड़ी, कुकापांगा, अदिगम्बा, परहतियावादी गांवों को छूते हुए पकरी आरएफ में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। परहतियाबादी से यह श्रीपकल गांव को छूते हुए श्रीरामपुर 'बी' पीआरएफ के अंदर दक्षिण की मुड़ती है फिर गांव देबरही सोनपुर और बुडामहा के पास श्री रामपुर को छूती है तथा सुलुमहा गांव की ओर बढ़ती है। फिर यह दीमुरू नदी को पार करते हुए पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा श्रीरामपुर, कुचीमिला, तियमहा, दुरीगुड़ा गांव की सीमा को छूते हुए पश्चिमी की ओर मुड़ जाती है तथा सिरंगा में बोंडरू आरएफ में प्रवेश करती है। सिरंगा से यह बोंदरू आरएफ लेस्सेरी एक्स आरएफ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और फिर दुर्गापंगा आरएफ के अंदर बोंदरू, धाराकोट, सजेली गांवों की सीमा को छूते हुए कालीशीगुड़ा के निकट साझी जिला सीमा पर मिलती है तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में रायगढ़ और कंधामल की साझी जिला सीमा की ओर मुड़ जाती है तथा शुरूआती बिंदु पर मिल जाती है।

**उपाबंध-III**

**कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, उड़ीसा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची**

| क्र.सं | ग्राम | अक्षांश | | | देशांतर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | डिग्री | मिनट | सैकेंड | डिग्री | मिनट | सैकेंड |
| 1 | मुजुरुकुपा | 19 | 41 | 47.31 | 83 | 42 | 20.053 |
| 2 | नीलिगुदा | 19 | 41 | 48.321 | 83 | 41 | 4.233 |
| 3 | पीरीमाला | 19 | 42 | 23.703 | 83 | 41 | 28.495 |
| 4 | बनदापीपीली | 19 | 42 | 21.682 | 83 | 40 | 32.893 |
| 5 | पंदीरीपी | 19 | 42 | 26.736 | 83 | 39 | 31.226 |
| 6 | इरपीगुदा | 19 | 39 | 55.095 | 83 | 39 | 0.898 |
| 7 | कुरूकुती | 19 | 39 | 47.008 | 83 | 38 | 34.613 |
| 8 | बलीनगी | 19 | 41 | 13.949 | 83 | 38 | 54.832 |
| 9 | दुरर्गापानगा | 19 | 40 | 42.609 | 83 | 39 | 30.215 |
| 10 | कर्रादापांगा | 19 | 41 | 59.441 | 83 | 37 | 44.066 |
| 11 | कोंलिपादार | 19 | 41 | 50.342 | 83 | 36 | 48.465 |
| 12 | टेमपोदार | 19 | 41 | 50.342 | 83 | 36 | 16.114 |
| 13 | हुमागुंजी | 19 | 42 | 24.714 | 83 | 35 | 36.688 |
| 14 | गोरलागुदा | 19 | 42 | 9.55 | 83 | 36 | 37.344 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | सिगारोदा | 19 | 42 | 40.889 | 83 | 36 | 32.289 |
| 16 | दीप्पगुदा | 19 | 43 | 16.272 | 83 | 37 | 3.629 |
| 17 | मुंदीगुदा | 19 | 43 | 6.163 | 83 | 37 | 52.154 |
| 18 | पातरानी | 19 | 44 | 4.798 | 83 | 36 | 31.279 |
| 19 | बदीपांगा | 19 | 45 | 23.651 | 83 | 38 | 4.285 |
| 20 | भलुगुदा | 19 | 46 | 15.209 | 83 | 37 | 59.23 |
| 21 | रूजींगी | 19 | 46 | 2.067 | 83 | 36 | 32.289 |
| 22 | भुरागुरी | 19 | 44 | 50.29 | 83 | 36 | 4.994 |
| 23 | बोंदगोगुदा | 19 | 43 | 55.699 | 83 | 35 | 47.808 |
| 24 | दुमबालु | 19 | 43 | 3.13 | 83 | 35 | 52.863 |
| 25 | कटासीरी | 19 | 43 | 0.097 | 83 | 35 | 7.37 |
| 26 | बोंदीली | 19 | 43 | 39.524 | 83 | 35 | 2.316 |
| 27 | सनोमुदरा | 19 | 43 | 26.382 | 83 | 34 | 21.878 |
| 28 | बीरीली | 19 | 44 | 2.776 | 83 | 34 | 19.856 |
| 29 | नुंदरूबली | 19 | 44 | 36.137 | 83 | 34 | 0.648 |
| 30 | गोटीगुदा | 19 | 44 | 54.334 | 83 | 34 | 16.823 |
| 31 | मुमबईभाता | 19 | 44 | 46.246 | 83 | 35 | 12.425 |
| 32 | कहमबरीगुदा | 19 | 45 | 26.684 | 83 | 35 | 3.327 |
| 33 | बामुनी | 19 | 45 | 49.935 | 83 | 35 | 27.589 |
| 34 | तीकरापादा | 19 | 46 | 26.329 | 83 | 35 | 45.786 |
| 35 | नगालाबेदे | 19 | 47 | 9.8 | 83 | 35 | 41.742 |
| 36 | तहुअपादी | 19 | 47 | 8.789 | 83 | 36 | 7.016 |
| 37 | दामबागुदा | 19 | 46 | 59.69 | 83 | 36 | 45.432 |
| 38 | बदाकांदुलापादा | 19 | 48 | 17.533 | 83 | 36 | 25.213 |
| 39 | अमबीरीकोला | 19 | 48 | 19.555 | 83 | 35 | 21.524 |
| 40 | कारादंगा | 19 | 47 | 53.27 | 83 | 34 | 58.272 |
| 41 | तहुगुदी | 19 | 47 | 8.789 | 83 | 34 | 44.119 |
| 42 | दींगारापांगा | 19 | 46 | 42.504 | 83 | 34 | 37.042 |
| 43 | जगादालपुर | 19 | 46 | 23.296 | 83 | 34 | 2.67 |
| 44 | उदयपुर | 19 | 45 | 49.935 | 83 | 34 | 15.812 |
| 45 | शरदपुर | 19 | 46 | 7.121 | 83 | 34 | 49.174 |
| 46 | सनोकांदुलादा | 19 | 48 | 44.828 | 83 | 34 | 41.086 |
| 47 | रटीकोला | 19 | 48 | 46.85 | 83 | 34 | 8.736 |
| 48 | पोदागुदी | 19 | 47 | 55.582 | 83 | 34 | 12.599 |
| 49 | गुंदरीगुदा | 19 | 47 | 47.289 | 83 | 33 | 58.603 |
| 50 | गुंदुरूगम | 19 | 48 | 43.79 | 83 | 33 | 47.199 |
| 51 | लक्ष्मीपुर | 19 | 49 | 8.153 | 83 | 33 | 54.975 |
| 52 | पांदरामुंदा | 19 | 49 | 20.594 | 83 | 33 | 57.048 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | तंगीकीअरी | 19 | 49 | 36.663 | 83 | 34 | 16.228 |
| 54 | दीदरांगा | 19 | 48 | 8.023 | 83 | 38 | 8.454 |
| 55 | कनीबारू | 19 | 49 | 0.896 | 83 | 38 | 43.702 |
| 56 | भांदारसरी | 19 | 48 | 57.786 | 83 | 38 | 10.527 |
| 57 | गोलामपुंगा | 19 | 49 | 45.475 | 83 | 37 | 39.944 |
| 58 | कीनेरी | 19 | 51 | 18.78 | 83 | 36 | 56.92 |
| 59 | मुसकासारू | 19 | 50 | 39.903 | 83 | 35 | 19.986 |
| 60 | गलेबेरा | 19 | 50 | 47.679 | 83 | 35 | 2.88 |
| 61 | दुमामासका | 19 | 51 | 8.931 | 83 | 34 | 30.742 |
| 62 | पीसकुदी | 19 | 51 | 41.588 | 83 | 34 | 3.269 |
| 63 | कारलांगी | 19 | 51 | 54.547 | 83 | 33 | 52.383 |
| 64 | गुमपादार | 19 | 52 | 9.58 | 83 | 34 | 15.191 |
| 65 | मुंदीमासका | 19 | 50 | 45.605 | 83 | 33 | 52.383 |
| 66 | धाहरनीमासका | 19 | 50 | 59.082 | 83 | 32 | 37.739 |
| 67 | गोलबाली | 19 | 51 | 28.629 | 83 | 32 | 54.327 |
| 68 | पासकादी | 19 | 52 | 4.396 | 83 | 32 | 24.262 |
| 69 | सीलकुरी | 19 | 51 | 35.886 | 83 | 31 | 59.899 |
| 70 | मालीमुंदा | 19 | 51 | 3.229 | 83 | 32 | 25.817 |
| 71 | नुंदुरूबादी | 19 | 50 | 9.838 | 83 | 33 | 38.387 |
| 72 | बाकालाका | 19 | 52 | 22.02 | 83 | 31 | 42.793 |
| 73 | पलामुंदरा | 19 | 53 | 6.081 | 83 | 32 | 5.601 |
| 74 | अमबीदीकहोल | 19 | 52 | 56.751 | 83 | 32 | 22.707 |
| 75 | सकासाना | 19 | 53 | 36.664 | 83 | 32 | 36.702 |
| 76 | केरकासोरू | 19 | 53 | 36.664 | 83 | 32 | 19.078 |
| 77 | मातरलाकु | 19 | 54 | 10.876 | 83 | 32 | 56.4 |
| 78 | उदेलमासका | 19 | 54 | 21.244 | 83 | 33 | 7.286 |
| 79 | मांदुरा | 19 | 55 | 5.304 | 83 | 33 | 16.098 |
| 80 | बीकापंगा | 19 | 53 | 45.995 | 83 | 33 | 32.167 |
| 81 | धामनापंगा | 19 | 53 | 8.155 | 83 | 34 | 5.86 |
| 82 | बीलमाल | 19 | 53 | 32.518 | 83 | 34 | 44.738 |
| 83 | करांजीकाना | 19 | 53 | 59.991 | 83 | 34 | 23.485 |
| 84 | खादापांगा | 19 | 53 | 31.481 | 83 | 35 | 27.243 |
| 85 | धुदुसी | 19 | 52 | 44.828 | 83 | 35 | 36.574 |
| 86 | सपेरा | 19 | 51 | 57.657 | 83 | 35 | 19.468 |
| 87 | जुबइनाल | 19 | 53 | 51.697 | 83 | 35 | 37.092 |
| 88 | राजम | 19 | 53 | 31.999 | 83 | 36 | 4.047 |
| 89 | पीक्कापादा | 19 | 53 | 59.991 | 83 | 36 | 4.565 |
| 90 | बुरलुबारू | 19 | 55 | 2.712 | 83 | 35 | 38.129 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | कुसुमुंदा | 19 | 55 | 48.847 | 83 | 35 | 42.794 |
| 92 | झालीपादा | 19 | 56 | 4.916 | 83 | 36 | 0.418 |
| 93 | बेलगार | 19 | 55 | 31.222 | 83 | 36 | 10.267 |
| 94 | तुअकोला | 19 | 56 | 12.173 | 83 | 36 | 39.296 |
| 95 | रंगापारू | 19 | 56 | 59.344 | 83 | 35 | 50.051 |
| 96 | सनतुअकेला | 19 | 57 | 38.739 | 83 | 36 | 0.937 |
| 97 | सनकुमुदी | 19 | 56 | 42.756 | 83 | 36 | 50.699 |
| 98 | सादांगी | 19 | 57 | 41.331 | 83 | 34 | 35.925 |
| 99 | देसहुघाटी | 19 | 57 | 4.527 | 83 | 33 | 28.538 |
| 100 | मुंदाती | 19 | 56 | 31.352 | 83 | 33 | 47.718 |
| 101 | अदीलीपा | 19 | 57 | 38.739 | 83 | 32 | 38.776 |
| 102 | सनाझीरीपानी | 19 | 57 | 47.033 | 83 | 32 | 11.821 |
| 103 | लालाकुती | 19 | 57 | 28.372 | 83 | 31 | 48.495 |
| 104 | बातांगापादार | 19 | 57 | 47.551 | 83 | 31 | 36.572 |
| 105 | बरागन | 19 | 57 | 54.29 | 83 | 31 | 14.283 |
| 106 | बरागुदा | 19 | 58 | 25.392 | 83 | 31 | 37.091 |
| 107 | थीरीपानी | 19 | 58 | 36.796 | 83 | 32 | 27.89 |
| 108 | मेंधागारू | 19 | 59 | 2.196 | 83 | 31 | 54.715 |
| 109 | सीकाकी | 19 | 58 | 1.029 | 83 | 32 | 50.18 |
| 110 | सुरांगाबारू | 19 | 59 | 28.114 | 83 | 33 | 1.065 |
| 111 | काउगुदा | 19 | 59 | 28.632 | 83 | 32 | 33.074 |
| 112 | सारदपुर | 19 | 59 | 19.301 | 83 | 32 | 0.935 |
| 113 | सुरूदा | 19 | 59 | 16.191 | 83 | 30 | 34.369 |
| 114 | झरापा | 19 | 56 | 12.173 | 83 | 32 | 20.115 |
| 115 | कुलुंझा | 19 | 56 | 42.756 | 83 | 31 | 42.274 |
| -116 | तीकोरापादा | 19 | 56 | 58.307 | 83 | 30 | 58.732 |
| 117 | नानीउती | 19 | 57 | 10.229 | 83 | 30 | 24.002 |
| 118 | तरगाबाली | 19 | 59 | 20.338 | 83 | 34 | 46.293 |
| 119 | गुरूलीमासका | 19 | 59 | 3.751 | 83 | 35 | 8.064 |
| 120 | बातीपादा | 19 | 58 | 39.906 | 83 | 35 | 47.978 |
| 121 | मालक | 19 | 58 | 26.947 | 83 | 37 | 36.315 |
| 122 | कुमुदी | 19 | 57 | 30.964 | 83 | 37 | 6.25 |
| 123 | गेरमेल | 19 | 57 | 23.707 | 83 | 37 | 49.793 |
| 124 | तरलांगी | 19 | 57 | 59.474 | 83 | 38 | 40.074 |
| 125 | पीकुसी | 19 | 57 | 16.45 | 83 | 39 | 13.249 |
| 126 | उसाबाली | 19 | 56 | 16.838 | 83 | 39 | 33.983 |
| 127 | सनाघोका | 19 | 55 | 37.443 | 83 | 39 | 42.796 |
| 128 | बादगोचा हाका | 19 | 54 | 13.986 | 83 | 39 | 28.8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | देवगादा | 19 | 55 | 11.006 | 83 | 37 | 57.568 |
| 130 | कादापाना | 19 | 54 | 59.084 | 83 | 37 | 2.103 |
| 131 | कदामा | 19 | 55 | 6.341 | 83 | 40 | 42.407 |
| 132 | गुदगुदा | 19 | 56 | 36.018 | 83 | 40 | 18.044 |
| 133 | घुमुरागनी | 19 | 58 | 13.988 | 83 | 40 | 15.971 |
| 134 | पीगादी | 19 | 58 | 10.359 | 83 | 39 | 13.767 |
| 135 | सेलांगी | 19 | 59 | 3.232 | 83 | 39 | 3.4 |
| 136 | मेतरूगन | 19 | 59 | 18.783 | 83 | 41 | 4.697 |
| 137 | गचेरगन | 19 | 58 | 46.126 | 83 | 41 | 4.697 |
| 138 | जलइसेपेता | 19 | 59 | 34.334 | 83 | 42 | 53.553 |
| 139 | शरदापुर | 19 | 59 | 5.306 | 83 | 43 | 25.691 |
| 140 | मनपुर | 19 | 58 | 35.759 | 83 | 43 | 26.728 |
| 141 | नुअमुंदा | 19 | 59 | 3.751 | 83 | 42 | 39.038 |
| 142 | बेनारबाहल | 19 | 58 | 27.465 | 83 | 42 | 29.708 |
| 143 | तुमुदीबांधा | 19 | 57 | 26.299 | 83 | 42 | 18.304 |
| 144 | कालीसपादार | 19 | 56 | 42.238 | 83 | 42 | 46.814 |
| 145 | भालीपानी | 19 | 55 | 51.957 | 83 | 42 | 57.7 |
| 146 | काकालंगा | 19 | 55 | 37.443 | 83 | 42 | 49.406 |
| 147 | बदामीला | 19 | 59 | 28.632 | 83 | 45 | 8.327 |
| 148 | सामदाकीसारू | 19 | 59 | 23.448 | 83 | 45 | 37.355 |
| 149 | सीरला | 19 | 58 | 13.988 | 83 | 45 | 47.204 |
| 150 | बीरीमीला | 19 | 58 | 25.392 | 83 | 45 | 4.18 |
| 151 | तेल पादा | 19 | 57 | 13.858 | 83 | 45 | 33.208 |
| 152 | पीदामाहा | 19 | 55 | 35.369 | 83 | 46 | 45.779 |
| 153 | बालीगुदा | 19 | 57 | 24.225 | 83 | 50 | 17.27 |
| 154 | कुतीबादी | 19 | 55 | 56.622 | 83 | 50 | 47.335 |
| 155 | झरगीगुदा | 19 | 54 | 35.239 | 83 | 50 | 40.078 |
| 156 | पीदुरूमीला | 19 | 54 | 47.162 | 83 | 51 | 32.951 |
| 157 | पीलीमाहा | 19 | 53 | 39.775 | 83 | 51 | 49.539 |
| 158 | बतरी | 19 | 53 | 44.44 | 83 | 54 | 8.978 |
| 159 | गहीगुदा | 19 | 53 | 39.256 | 83 | 54 | 51.483 |
| 160 | गहीगुदा जंगल | 19 | 53 | 22.669 | 83 | 55 | 20.512 |
| 161 | मकादाल | 19 | 52 | 15.282 | 83 | 54 | 43.708 |
| 162 | कासारदादी | 19 | 52 | 45.865 | 83 | 57 | 20.253 |
| 163 | रानीपांगा | 19 | 53 | 0.897 | 83 | 57 | 33.731 |
| 164 | झीमाबादी | 19 | 53 | 19.04 | 83 | 58 | 48.375 |
| 165 | मांझरबादी | 19 | 52 | 43.273 | 83 | 58 | 34.897 |
| 166 | पतेराबादी | 19 | 52 | 46.383 | 83 | 59 | 55.762 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | श्री पाखला | 19 | 51 | 54.547 | 84 | 1 | 10.406 |
| 168 | कुपीबादी | 19 | 51 | 6.34 | 84 | 1 | 33.732 |
| 169 | अतीनीबादी | 19 | 48 | 46.9 | 84 | 0 | 33.084 |
| 170 | बादलंगीअ | 19 | 48 | 43.79 | 83 | 59 | 56.798 |
| 171 | सापानाबादी। | 19 | 48 | 22.019 | 83 | 59 | 41.766 |
| 172 | घाकीअ | 19 | 47 | 23.962 | 84 | 1 | 48.765 |
| 173 | सोनापुर | 19 | 46 | 44.567 | 84 | 2 | 41.119 |
| 174 | दाबेदी | 19 | 47 | 28.109 | 84 | 2 | 39.046 |
| 175 | मचहदापांगा | 19 | 45 | 17.482 | 84 | 2 | 15.201 |
| 176 | तजुंगीअ | 19 | 44 | 15.279 | 84 | 2 | 3.279 |
| 177 | कालींगी | 19 | 43 | 49.361 | 84 | 1 | 44.099 |
| 178 | सीकाबादी | 19 | 43 | 16.704 | 84 | 0 | 15.978 |
| 179 | धउसरीगन | 19 | 43 | 29.145 | 83 | 59 | 2.889 |
| 180 | सरामबी | 19 | 45 | 11.78 | 83 | 57 | 33.731 |
| 181 | कानदागुदा | 19 | 44 | 0.246 | 83 | 55 | 17.402 |
| 182 | गोअरीगन | 19 | 43 | 55.581 | 83 | 54 | 4.831 |
| 183 | जुबागुदा | 19 | 43 | 59.21 | 83 | 53 | 16.623 |
| 184 | कुचीमीला | 19 | 44 | 6.467 | 83 | 52 | 48.632 |
| 185 | श्रीरामपुर | 19 | 44 | 37.05 | 83 | 53 | 35.803 |
| 186 | पातमा | 19 | 45 | 38.217 | 83 | 53 | 17.66 |
| 187 | सुरूगुदा | 19 | 46 | 22.796 | 83 | 52 | 48.632 |
| 188 | बेरम्मा | 19 | 46 | 32.645 | 83 | 53 | 59.647 |
| 189 | बुधाबेइरमा | 19 | 47 | 9.967 | 83 | 53 | 32.692 |
| 190 | कुपुदामाहा | 19 | 47 | 32.256 | 83 | 51 | 37.616 |
| 191 | पांगामाहा | 19 | 47 | 56.619 | 83 | 52 | 5.089 |
| 192 | मारलंग | 19 | 48 | 32.386 | 83 | 53 | 54.982 |
| 193 | सीतागुदा | 19 | 49 | 0.896 | 83 | 54 | 48.892 |
| 194 | मालागुदा | 19 | 49 | 57.916 | 83 | 54 | 36.451 |
| 195 | दुरीकुपुदा | 19 | 49 | 53.769 | 83 | 55 | 29.324 |
| 196 | ओरा | 19 | 47 | 28.109 | 83 | 50 | 56.147 |
| 197 | दुदुमा | 19 | 47 | 40.032 | 83 | 50 | 33.858 |
| 198 | दुअबादा | 19 | 47 | 8.412 | 83 | 49 | 44.613 |
| 199 | पीलेरी | 19 | 46 | 25.388 | 83 | 49 | 20.769 |
| 200 | मेलागुदा | 19 | 47 | 0.118 | 83 | 47 | 46.945 |
| 201 | कमागुदा | 19 | 48 | 35.496 | 83 | 47 | 57.313 |
| 202 | गाजीनाजु | 19 | 49 | 8.671 | 83 | 47 | 42.798 |
| 203 | सीरींग | 19 | 47 | 18.26 | 83 | 46 | 15.195 |
| 204 | दुरींगी | 19 | 47 | 54.546 | 83 | 45 | 53.942 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | मारदीगुदा | 19 | 47 | 58.174 | 83 | 45 | 21.286 |
| 206 | कोटागादा | 19 | 50 | 11.912 | 83 | 43 | 18.434 |
| 207 | मदांगी | 19 | 49 | 45.475 | 83 | 44 | 35.67 |
| 208 | केसारगुदा | 19 | 49 | 16.447 | 83 | 44 | 28.413 |
| 209 | जमजोरी | 19 | 48 | 34.46 | 83 | 43 | 4.438 |
| 210 | नुअपादार | 19 | 48 | 32.386 | 83 | 43 | 57.829 |
| 211 | देंगागुदा | 19 | 48 | 8.542 | 83 | 44 | 18.564 |
| 212 | नुअगन | 19 | 47 | 44.697 | 83 | 42 | 49.924 |
| 213 | रादीगुमा | 19 | 46 | 32.126 | 83 | 42 | 32.818 |
| 214 | सीनेगुदा | 19 | 46 | 18.13 | 83 | 43 | 11.695 |
| 215 | अदानगामेला | 19 | 46 | 39.902 | 83 | 43 | 50.054 |
| 216 | गुमुपादार | 19 | 46 | 6.208 | 83 | 44 | 31.005 |
| 217 | लासेरी | 19 | 44 | 55.711 | 83 | 41 | 53.423 |
| 218 | मेदागुदी | 19 | 45 | 19.037 | 83 | 42 | 19.859 |
| 219 | सारलीगुदा | 19 | 45 | 27.849 | 83 | 43 | 26.209 |
| 220 | बंनदुरू | 19 | 45 | 7.633 | 83 | 44 | 47.074 |
| 221 | मासकापांगा | 19 | 44 | 1.283 | 83 | 44 | 24.266 |
| 222 | धाराकोटा | 19 | 44 | 6.985 | 83 | 44 | 47.592 |
| 223 | रींदाबाली | 19 | 42 | 40.937 | 83 | 43 | 2.883 |
| 224 | जुदाबाली | 19 | 43 | 46.769 | 83 | 43 | 2.365 |
| 225 | रेटाबाली | 19 | 43 | 23.443 | 83 | 41 | 43.055 |
| 226 | गेटाबाली | 19 | 43 | 48.324 | 83 | 41 | 58.088 |
| 227 | घरीती | 19 | 42 | 33.162 | 83 | 43 | 56.793 |
| 228 | हरीपुर | 19 | 41 | 49.364 | 83 | 43 | 5.993 |

**उपाबंध-IV**

**पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र**

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2017

**S.O. 3433(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz.mef@nic.in.

### Draft Notification

**AND WHEREAS,** the Kotagarh Wildlife Sanctuary is situated in Balliguda Forest Division, Kandhamal District, about 350 Kilometres from Bhubaneswar in Odisha, 135 Kilometres from Phulbani and 100 Kilometres from Rayagada. The total area of the sanctuary is 399.5 square kilometres having 10 forest blocks of 269.5096 square kilometres area and revenue area comprising of 129.9904 square kilometres.;

**AND WHEREAS,** the sanctuary is well known for its floral and faunal diversity having 165 species of trees, 132 species of herbs, 48 species of climbers, 43 species of mammal & 44 species of birds and forms an integral part of Kotagarh-Chandrapur Elephant corridor;

**AND WHEREAS**, the primary tree species are Sal and its associates. Wild animals found in the sanctuary include Elephant (*Elephas maximus*), wild boar (*Sus scrofa*), bear (*Ursus sp.*), leopards (*Panthera pardus*), barking deer (*Muntia cusmuntjak*), hare (*Lepus sp.*) and Sambar (*Rusa unicolor*). In addition Pangolin (*Pholidota sp.*), Hornbills (*Buceros sp.*), Peacocks (*Pavo cristatus*) and a wide variety of reptiles and birds are also found here. The Forest type is North Indian peninsular Sal forests and a limited patch of Silver Grey wood (*Terminalia tomentosa*) and dry bamboo brakes as per Classification of Champion and Seth are also found here;

**AND WHEREAS**, the Northern and South Western portion of Sanctuary constitute a part of Chandrapur Elephant corridor, which forms the migratory route for Elephants from Kalahandi Forest Division and Lakhari Valley Sanctuary through Muniguda Range of Rayagada Forest Division. The other landscapes of the Sanctuary include Forest land and habitation area, paddy fields, roads, river, nallah, etc.;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Kotagarh Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 2 kilometres to 10 kilometres from the boundary of the Kotagarh Wildlife Sanctuary in the State of Odisha as the Kotagarh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone)details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-**(1)The extent of Eco-sensitive Zone varies from 2 kilometres to 10 kilometres from the boundary of the Kotagarh Wildlife Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is 1400.78 square kilometres.

(2) The map of Kotagarh Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is appended as **Annexure I** and the geo co-ordinates of prominent locations of Sanctuary and Eco- Sensitive Zone Boundaries are appended as **Annexure I (A) and I (B)** respectively.

(3) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone of Kotagarh Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure II**.

(4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure III**.

(5) The Eco-sensitive Zone includes both forest and non-forest areas as per details given below:

| Name Of the District | Forest Area (square kilometres) | Revenue Area | | Total area (square kilometres) |
|---|---|---|---|---|
| | | Number of villages | Area (square kilometres)) | |
| Kandhamal | 723.73 | 136 | 592.13 | 1315.86 |
| Rayagada | 58.96 | 23 | 25.96 | 84.92 |
| **Total** | **782.69** | **159** | **618.09** | **1400.78** |

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan so prepared shall commensurate with the stipulation specified in the Notification and include the environmental implications.

(3) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture; and

(viii) Odisha State Pollution Control Board.

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green areas such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and shall follow prohibited, regulated and promoted activities specified in the Notification so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions with respect to the provisions given in this notification.

**3. Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(iii) Rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village artisans.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.

(3) **Eco-Tourism.-**(a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Odisha in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Odisha.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities relating to tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometre from the boundary of the Kotagarh Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Monitoring Committee.-** Upon completion of the term of the first Monitoring Committee, the State Government shall re-constitute the subsequent Monitoring Committees as per the composition given at Para 5, without referring to the Central Government.

(5) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(6) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(7) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Odisha State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(8) **Air pollution.-** Regulations for the control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.

(9) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. –

(10) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone

(ii) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Bio-medical waste.-** (i) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(ii) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone Area.

(12) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(14) **E- waste**.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(15) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(16) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

**4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

| **S No** | **Activity** | **Description** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| | **A. Prohibited Activities** | |
| 1. | Commercial Mining | (a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.<br><br>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012. |
| 2. | Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.). | No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted. |
| 3. | Establishment of major hydroelectric project. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 4. | Use or production or processing of any hazardous substances. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 5. | Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws |
| 6. | Setting of new saw mills. | No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 7. | Setting up of brick kilns. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws |
| | **B. Regulated Activities** | |
| 8. | Commercial establishment of hotels and resorts. | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities.<br>Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable. |
| 9. | Construction activities. | (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:<br>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:<br>(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;<br>(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;<br>(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;<br>(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and<br>(v) Promoted activities listed in this Notification.<br>Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.<br>(b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan. |
| 10. | Small scale non polluting industries. | Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority. |
| 11. | Felling of Trees. | (a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. |

| | | |
|---|---|---|
| | | (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. |
| 12. | Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP). | Regulated under applicable laws. |
| 13. | Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures. | Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted. |
| 14. | Infrastructure including civic amenities. | Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |
| 15. | Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads. | Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |
| 16. | Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc. | Regulated under applicable law. |
| 17. | Protection of Hill Slopes and river banks. | Regulated under applicable laws. |
| 18. | Movement of vehicular traffic at night. | Regulated for commercial purpose under applicable laws. |
| 19. | Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries. | Permitted under applicable laws for use of locals. |
| 20. | Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area. | The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws. |
| 21. | Commercial extraction of surface and ground water. | Regulated under applicable law. |
| 22. | Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage. | Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority. |
| 23. | Solid Waste Management. | Regulated under applicable laws. |
| 24. | Introduction of Exotic species. | Regulated under applicable laws. |
| 25. | Eco-tourism. | Regulated under applicable laws. |
| 26. | Use of polythene bags. | Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws. |
| 27. | Commercial Sign boards and hoardings. | Regulated under applicable laws. |
| **C. Promoted Activities** | | |
| 28. | Rain water harvesting. | Shall be actively promoted. |
| 29. | Organic farming. | Shall be actively promoted. |
| 30. | Adoption of green technology for all activities. | Shall be actively promoted. |
| 31. | Cottage industries including village artisans, etc. | Shall be actively promoted. |
| 32. | Use of renewable energy and fuels. | Bio gas, solar light etc. to be actively promoted . |
| 33. | Agro-Forestry. | Shall be actively promoted. |
| 34. | Plantation of Horticulture and Herbals. | Shall be actively promoted. |
| 35. | Use of eco-friendly transport. | Shall be actively promoted. |
| 36. | Skill Development. | Shall be actively promoted. |
| 37. | Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat. | Shall be actively promoted. |
| 38. | Environmental Awareness . | Shall be actively promoted. |

Prohibited Activities as specified above shall come into effect from the date of issue of Draft Notification.

**5. Monitoring Committee.-** (1) The Central Government, within three months of this Notification, constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (1986 of 29) comprising of the following, namely:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | The District Collector, Kandhamal, Government of Odisha | –Chairman; |
| (ii) | Superintendent of Police of Kandhamal District | –Member; |
| (iii) | Representative of Collector, Rayagada | –Member; |
| (iv) | Representative of Superintendent of Police, Rayagada | –Member; |
| (v) | Representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Odisha | –Member; |
| (vi) | One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Odisha | –Member; |
| (vii) | Member-Secretary or Member, Odisha State Biodiversity Board | –Member; |
| (viii) | Divisional Forest Officer, Rayagada | –Member; |
| (ix) | Regional Officer, Odisha State Pollution Control Board | –Member; and |
| (x) | Divisional Forest Officer, Balligunda | –Member Secretary. |

**Terms of Reference:**

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee is for three (3) years or till the Constitution of the new Committee by the State Government.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**6.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

**7.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/42/2015-ESZ/RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

**Annexure I**

**Map of Kotagarh Wildlife Sanctuary along with its Eco- Sensitive Zone**

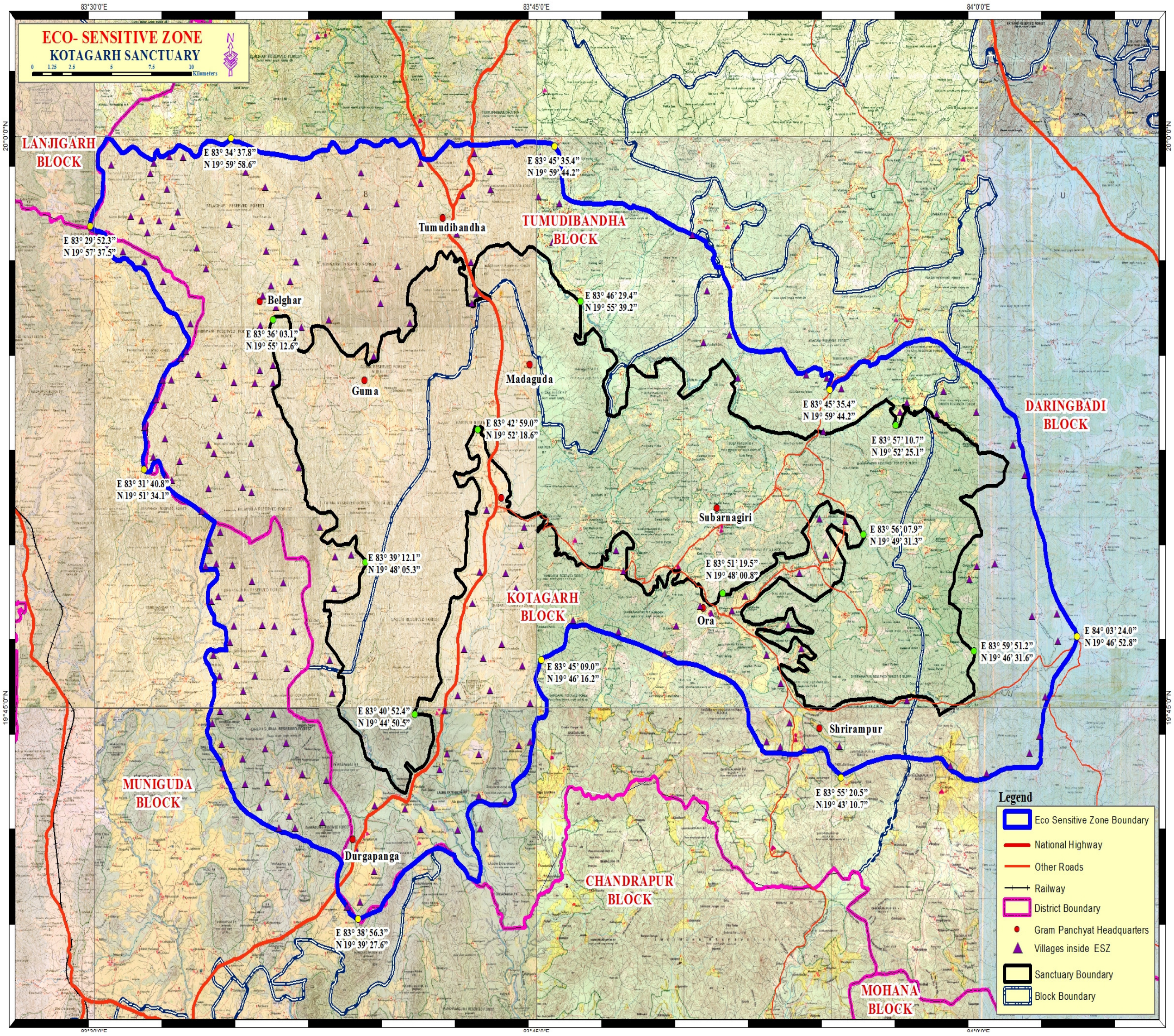

**Annexure I (A)**

**Geo Co-ordinates of Boundary of Kotagarh Wildlife Sanctuary**

| Pillar No. | Latitude N | | | Longitude E | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | M | S | D | M | S |
| 1) | 19 | 55 | 14.00 | 83 | 36 | 4.60 |
| 2) | 19 | 54 | 54.70 | 83 | 37 | 22.10 |
| 3) | 19 | 54 | 8.80 | 83 | 38 | 45.80 |
| 4) | 19 | 54 | 54.10 | 83 | 40 | 49.80 |
| 5) | 19 | 56 | 54.90 | 83 | 41 | 49.90 |
| 6) | 19 | 55 | 44.40 | 83 | 43 | 3.40 |
| 7) | 19 | 56 | 38.60 | 83 | 45 | 27.40 |
| 8) | 19 | 54 | 40.80 | 83 | 47 | 12.20 |
| 9) | 19 | 53 | 39.60 | 83 | 47 | 55.00 |
| 10) | 19 | 53 | 9.40 | 83 | 49 | 56.90 |
| 11) | 19 | 52 | 44.20 | 83 | 51 | 36.00 |
| 12) | 19 | 52 | 18.60 | 83 | 54 | 26.20 |
| 13) | 19 | 53 | 6.50 | 83 | 56 | 49.70 |
| 14) | 19 | 52 | 56.20 | 83 | 57 | 31.90 |
| 15) | 19 | 52 | 21.20 | 83 | 58 | 59.70 |
| 16) | 19 | 51 | 12.50 | 84 | 0 | 52.60 |
| 17) | 19 | 49 | 16.60 | 83 | 59 | 37.10 |
| 18) | 19 | 46 | 10.30 | 83 | 59 | 46.10 |
| 19) | 19 | 45 | 18.60 | 83 | 57 | 47.30 |
| 20) | 19 | 45 | 3.20 | 83 | 54 | 6.70 |
| 21) | 19 | 46 | 29.30 | 83 | 54 | 19.10 |
| 22) | 19 | 46 | 59.20 | 83 | 54 | 5.50 |
| 23) | 19 | 47 | 31.50 | 83 | 51 | 58.40 |
| 24) | 19 | 48 | 37.90 | 83 | 55 | 25.20 |
| 25) | 19 | 50 | 4.60 | 83 | 54 | 23.60 |
| 26) | 19 | 49 | 5.60 | 83 | 49 | 54.90 |
| 27) | 19 | 48 | 47.70 | 83 | 47 | 5.50 |
| 28) | 19 | 49 | 40.40 | 83 | 45 | 39.50 |
| 29) | 19 | 50 | 5.80 | 83 | 44 | 13.70 |
| 30) | 19 | 52 | 22.90 | 83 | 42 | 55.30 |
| 31) | 19 | 50 | 49.00 | 83 | 42 | 22.70 |
| 32) | 19 | 49 | 35.60 | 83 | 42 | 39.70 |
| 33) | 19 | 47 | 43.40 | 83 | 42 | 3.90 |
| 34) | 19 | 45 | 26.80 | 83 | 41 | 35.10 |
| 35) | 19 | 44 | 18.70 | 83 | 41 | 30.00 |
| 36) | 19 | 43 | 14.50 | 83 | 40 | 43.60 |
| 37) | 19 | 43 | 26.00 | 83 | 39 | 33.10 |
| 38) | 19 | 45 | 48.40 | 83 | 38 | 26.20 |
| 39) | 19 | 48 | 5.00 | 83 | 38 | 59.20 |
| 40) | 19 | 49 | 39.00 | 83 | 37 | 56.10 |
| 41) | 19 | 52 | 48.10 | 83 | 36 | 21.10 |
| 42) | 19 | 55 | 11.70 | 83 | 36 | 3.40 |

**Annexure I (B)**

**Geo Co-ordinates of Boundary of Eco-Sensitive Zone of Kotagarh Wildlife Sanctuary**

| SI. No. | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | 19° 41' 9.576" N | 83° 38' 9.523" E |
| 2 | 19° 41' 41.048" N | 83° 36' 37.500" E |
| 3 | 19° 42' 18.344" N | 83° 35' 7.222" E |
| 4 | 19° 43' 36.954" N | 83° 34' 15.943" E |
| 5 | 19° 45' 0.668" N | 83° 33' 58.571" E |
| 6 | 19° 46' 25.625" N | 83° 33' 48.139" E |
| 7 | 19° 47' 11.835" N | 83° 34' 8.401" E |
| 8 | 19° 48' 31.804" N | 83° 34' 10.805" E |
| 9 | 19° 49' 34.075" N | 83° 33' 56.379" E |
| 10 | 19° 50' 30.010" N | 83° 32' 58.491" E |
| 11 | 19° 51' 19.707" N | 83° 31' 57.735" E |
| 12 | 19° 52' 27.491" N | 83° 31' 40.590" E |
| 13 | 19° 53' 50.383" N | 83° 32' 27.388" E |
| 14 | 19° 55' 0.985" N | 83° 32' 58.357" E |
| 15 | 19° 56' 9.933" N | 83° 31' 55.358" E |
| 16 | 19° 56' 49.004" N | 83° 30' 39.466" E |
| 17 | 19° 57' 47.951" N | 83° 29' 52.941" E |
| 18 | 19° 59' 11.333" N | 83° 30' 8.989" E |
| 19 | 19° 59' 35.343" N | 83° 30' 58.982" E |
| 20 | 19° 59' 29.983" N | 83° 32' 14.359" E |
| 21 | 19° 59' 38.139" N | 83° 33' 35.816" E |
| 22 | 19° 59' 49.517" N | 83° 35' 1.946" E |
| 23 | 19° 59' 27.829" N | 83° 36' 38.463" E |
| 24 | 19° 59' 50.995" N | 83° 38' 6.971" E |
| 25 | 19° 59' 46.190" N | 83° 39' 29.830" E |
| 26 | 19° 59' 46.629" N | 83° 40' 55.609" E |
| 27 | 19° 59' 50.287" N | 83° 42' 10.032" E |
| 28 | 19° 59' 50.391" N | 83° 43' 45.555" E |
| 29 | 19° 59' 50.688" N | 83° 45' 21.918" E |
| 30 | 19° 58' 30.696" N | 83° 45' 54.892" E |
| 31 | 19° 58' 15.156" N | 83° 47' 28.569" E |
| 32 | 19° 57' 56.202" N | 83° 49' 1.100" E |
| 33 | 19° 57' 20.134" N | 83° 50' 32.826" E |
| 34 | 19° 56' 15.038" N | 83° 51' 24.685" E |
| 35 | 19° 54' 45.116" N | 83° 51' 46.004" E |
| 36 | 19° 54' 24.939" N | 83° 53' 15.504" E |
| 37 | 19° 53' 54.652" N | 83° 54' 33.860" E |
| 38 | 19° 53' 38.177" N | 83° 55' 24.500" E |
| 39 | 19° 54' 12.082" N | 83° 56' 43.834" E |
| 40 | 19° 54' 40.984" N | 83° 58' 16.378" E |
| 41 | 19° 53' 58.120" N | 83° 59' 43.155" E |
| 42 | 19° 52' 52.966" N | 84° 0' 52.450" E |
| 43 | 19° 51' 33.097" N | 84° 1' 31.947" E |
| 44 | 19° 50' 2.174" N | 84° 1' 56.195" E |

| | | |
|---|---|---|
| 45 | 19° 48' 32.600" N | 84° 2' 25.110" E |
| 46 | 19° 47' 9.779" N | 84° 3' 9.548" E |
| 47 | 19° 45' 51.965" N | 84° 2' 37.152" E |
| 48 | 19° 44' 23.605" N | 84° 2' 7.333" E |
| 49 | 19° 43' 26.946" N | 84° 1' 23.334" E |
| 50 | 19° 43' 7.461" N | 83° 59' 47.633" E |
| 51 | 19° 43' 38.863" N | 83° 58' 20.396" E |
| 52 | 19° 43' 40.070" N | 83° 56' 41.232" E |
| 53 | 19° 43' 21.718" N | 83° 55' 9.399" E |
| 54 | 19° 43' 47.699" N | 83° 53' 52.864" E |
| 55 | 19° 44' 12.411" N | 83° 52' 27.206" E |
| 56 | 19° 45' 35.110" N | 83° 51' 45.992" E |
| 57 | 19° 46' 9.281" N | 83° 50' 13.970" E |
| 58 | 19° 46' 36.493" N | 83° 48' 39.533" E |
| 59 | 19° 47' 2.049" N | 83° 47' 3.679" E |
| 60 | 19° 46' 34.217" N | 83° 45' 52.664" E |
| 61 | 19° 45' 29.739" N | 83° 45' 4.635" E |
| 62 | 19° 44' 16.949" N | 83° 44' 55.152" E |
| 63 | 19° 42' 57.474" N | 83° 44' 12.167" E |
| 64 | 19° 42' 33.279" N | 83° 43' 1.870" E |
| 65 | 19° 41' 13.670" N | 83° 42' 57.915" E |
| 66 | 19° 40' 52.693" N | 83° 42' 24.954" E |
| 67 | 19° 41' 2.548" N | 83° 41' 1.456" E |
| 68 | 19° 39' 58.420" N | 83° 39' 51.129" E |
| 69 | 19° 39' 49.048" N | 83° 38' 32.362" E |
| 70 | 19° 41' 9.576" N | 83° 38' 9.523" E |

**Annexure II**

**Boundary description of Eco-sensitive Zone around Kotagarh Wildlife Sanctuary**

The Eco-sensitive Zone boundary starts from the meeting point of Kotagarh Muniguda PWD road and common district boundary of Kandhamal District and Rayagada District 3 Km. from Durgapanga and moves north west in clock wise direction along common district boundary of Rayagada and Kandhamal about 1.5 Km. Then to west inside Rayagada through Tamagudi RF to Sana Mindra. Then to north through village boundary of Banaganagan, Maligan and touches RF boundary of Dhepaguda RF at Dingarpanga and moves in same direction along Dhepaguda RF boundary and touches common district boundary Rayagada and Kandhamal at Tangikiari. Then it proceedS along common district boundary in same direction upto village Srabuli then re-enter in Rayagada District through Raghubari RF via Sanamandura, Kumurupi and touches common district boundary at Pudenpadar. Then it moves north in District boundary of Kalahandi and Kandhamal upto Sarachangudi village.

From Sarachangudi it moves East along Jhiripani ‘A’ DPF boundary via Saradhapur and touches Belghar RF at Surangbaru. From Surangbaru it moves East inside Belghar RF and crosses Utei nala near Gusupa village and proceed inside Mundigarh ‘A’ DPF and crosses NH –59 at Matrugan and same NH at Jalespata. From Jalespata it moves East inside Tumudibandha UDPF touching village Badabandha, Dalabali, Jagadi. From Jagadi it moves South upto Sirla then towards East touching village Sinaguda. From Sinaguda it moves South inside then East amidst Adagan RF, then Pakari RF touching village Hadagan, Bathedi, Kukapanga, Adigamba, Parhatyabadi. From Parhatyabadi it moves South Srirampur ‘B’ DPF touching village Siripakal then village Daberhi Sonepur and touches Srirampur ‘C’ DPF near Budamaha and proceed upto village Sulumaha. Then it moves West crossing river Dimuru and moves inside Srirampur ‘A’ DPF touching village boundary Srirampur, Kuchimila, Tiamaha, Duriguda and enters to Bondru RF at Siranga. From Siranga it moves in South west direction in Bondru RF, Lassery Ext. RF then inside Durgapanga RF touching boundary of village Bondru, Dharakot, Sajeli and meet common district boundary near Kalishiguda and moves along common district boundary of Rayagada and Kandhamal in South west direction and meet the starting point.

**Annexure III**

**List of villages falling within the Eco-sensitive Zone of Kotagarh Wildlife Sanctuary, Odisha.**

| Sl. No. | Village | latitude | | | longitude | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D | M | S | D | M | S |
| 1 | MAJURUKUPA | 19 | 41 | 47.31 | 83 | 42 | 20.053 |
| 2 | NILIGUDA | 19 | 41 | 48.321 | 83 | 41 | 4.233 |
| 3 | PAIRIMALA | 19 | 42 | 23.703 | 83 | 41 | 28.495 |
| 4 | BANDAPIPILI | 19 | 42 | 21.682 | 83 | 40 | 32.893 |
| 5 | PANDAIRIPI | 19 | 42 | 26.736 | 83 | 39 | 31.226 |
| 6 | IRPIGUDA | 19 | 39 | 55.095 | 83 | 39 | 0.898 |
| 7 | KURUKUTI | 19 | 39 | 47.008 | 83 | 38 | 34.613 |
| 8 | BALINGI | 19 | 41 | 13.949 | 83 | 38 | 54.832 |
| 9 | DURGAPANGA | 19 | 40 | 42.609 | 83 | 39 | 30.215 |
| 10 | KARADAPANGA | 19 | 41 | 59.441 | 83 | 37 | 44.066 |
| 11 | KONLIPADAR | 19 | 41 | 50.342 | 83 | 36 | 48.465 |
| 12 | TEMAPODAR | 19 | 41 | 50.342 | 83 | 36 | 16.114 |
| 13 | HUMAGUNJI | 19 | 42 | 24.714 | 83 | 35 | 36.688 |
| 14 | GORLAGUDA | 19 | 42 | 9.55 | 83 | 36 | 37.344 |
| 15 | SINGARODA | 19 | 42 | 40.889 | 83 | 36 | 32.289 |
| 16 | DHIPPAGUDA | 19 | 43 | 16.272 | 83 | 37 | 3.629 |
| 17 | MUNDIGUDA | 19 | 43 | 6.163 | 83 | 37 | 52.154 |
| 18 | PATRANI | 19 | 44 | 4.798 | 83 | 36 | 31.279 |
| 19 | BADIPANGA | 19 | 45 | 23.651 | 83 | 38 | 4.285 |
| 20 | BHALUGUDA | 19 | 46 | 15.209 | 83 | 37 | 59.23 |
| 21 | RUJINGI | 19 | 46 | 2.067 | 83 | 36 | 32.289 |
| 22 | BHURAGURI | 19 | 44 | 50.29 | 83 | 36 | 4.994 |
| 23 | BONDHOGUDA | 19 | 43 | 55.699 | 83 | 35 | 47.808 |
| 24 | DUMBALU | 19 | 43 | 3.13 | 83 | 35 | 52.863 |
| 25 | KATASI RI | 19 | 43 | 0.097 | 83 | 35 | 7.37 |
| 26 | BONDILI | 19 | 43 | 39.524 | 83 | 35 | 2.316 |
| 27 | SANOMUDRA | 19 | 43 | 26.382 | 83 | 34 | 21.878 |
| 28 | BIRILI | 19 | 44 | 2.776 | 83 | 34 | 19.856 |
| 29 | NUNDRUBALI | 19 | 44 | 36.137 | 83 | 34 | 0.648 |
| 30 | GOTIGUDA | 19 | 44 | 54.334 | 83 | 34 | 16.823 |
| 31 | MUMBHIBHATA | 19 | 44 | 46.246 | 83 | 35 | 12.425 |
| 32 | KHAMBARIGUDA | 19 | 45 | 26.684 | 83 | 35 | 3.327 |
| 33 | BAMUNI | 19 | 45 | 49.935 | 83 | 35 | 27.589 |
| 34 | TIKARAPADA | 19 | 46 | 26.329 | 83 | 35 | 45.786 |
| 35 | NAGALABEDA | 19 | 47 | 9.8 | 83 | 35 | 41.742 |
| 36 | THUAPADI | 19 | 47 | 8.789 | 83 | 36 | 7.016 |
| 37 | DAMBAGUDA | 19 | 46 | 59.69 | 83 | 36 | 45.432 |
| 38 | BADAKANDULAPADA | 19 | 48 | 17.533 | 83 | 36 | 25.213 |
| 39 | AMBIRIKOLA | 19 | 48 | 19.555 | 83 | 35 | 21.524 |
| 40 | KARADANGA | 19 | 47 | 53.27 | 83 | 34 | 58.272 |
| 41 | THUAGUDI | 19 | 47 | 8.789 | 83 | 34 | 44.119 |
| 42 | DINGARAPANGA | 19 | 46 | 42.504 | 83 | 34 | 37.042 |
| 43 | JAGADALPUR | 19 | 46 | 23.296 | 83 | 34 | 2.67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | UDAYAPUR | 19 | 45 | 49.935 | 83 | 34 | 15.812 |
| 45 | SARADAPUR | 19 | 46 | 7.121 | 83 | 34 | 49.174 |
| 46 | SANOKANDULPADA | 19 | 48 | 44.828 | 83 | 34 | 41.086 |
| 47 | RATIKOLA | 19 | 48 | 46.85 | 83 | 34 | 8.736 |
| 48 | PODAGUDI | 19 | 47 | 55.582 | 83 | 34 | 12.599 |
| 49 | GUNDRIGUDA | 19 | 47 | 47.289 | 83 | 33 | 58.603 |
| 50 | GANDURUGAM | 19 | 48 | 43.79 | 83 | 33 | 47.199 |
| 51 | LAXMIPUR | 19 | 49 | 8.153 | 83 | 33 | 54.975 |
| 52 | PANDRAMUNDA | 19 | 49 | 20.594 | 83 | 33 | 57.048 |
| 53 | TANGIKIARI | 19 | 49 | 36.663 | 83 | 34 | 16.228 |
| 54 | LIDRANGA | 19 | 48 | 8.023 | 83 | 38 | 8.454 |
| 55 | KANIBARU | 19 | 49 | 0.896 | 83 | 38 | 43.702 |
| 56 | BHANDARSHRI | 19 | 48 | 57.786 | 83 | 38 | 10.527 |
| 57 | GOLAMPANGA | 19 | 49 | 45.475 | 83 | 37 | 39.944 |
| 58 | KINERI | 19 | 51 | 18.78 | 83 | 36 | 56.92 |
| 59 | MUSKASARU | 19 | 50 | 39.903 | 83 | 35 | 19.986 |
| 60 | GALEBARA | 19 | 50 | 47.679 | 83 | 35 | 2.88 |
| 61 | DUMAMASKA | 19 | 51 | 8.931 | 83 | 34 | 30.742 |
| 62 | PISKUDI | 19 | 51 | 41.588 | 83 | 34 | 3.269 |
| 63 | KARLANGI | 19 | 51 | 54.547 | 83 | 33 | 52.383 |
| 64 | GUMPADAR | 19 | 52 | 9.58 | 83 | 34 | 15.191 |
| 65 | MUNDIMASKA | 19 | 50 | 45.605 | 83 | 33 | 52.383 |
| 66 | DHARNIMASKA | 19 | 50 | 59.082 | 83 | 32 | 37.739 |
| 67 | GOIBALI ' | 19 | 51 | 28.629 | 83 | 32 | 54.327 |
| 68 | PASKADI | 19 | 52 | 4.396 | 83 | 32 | 24.262 |
| 69 | SILKURI | 19 | 51 | 35.886 | 83 | 31 | 59.899 |
| 70 | MALIMUNDA | 19 | 51 | 3.229 | 83 | 32 | 25.817 |
| 71 | NUNDURUBADI | 19 | 50 | 9.838 | 83 | 33 | 38.387 |
| 72 | BAKALAKA | 19 | 52 | 22.02 | 83 | 31 | 42.793 |
| 73 | PALAMUNDRA | 19 | 53 | 6.081 | 83 | 32 | 5.601 |
| 74 | AMBIDIKHOL | 19 | 52 | 56.751 | 83 | 32 | 22.707 |
| 75 | SAKASANA | 19 | 53 | 36.664 | 83 | 32 | 36.702 |
| 76 | KERKASORU | 19 | 53 | 36.664 | 83 | 32 | 19.078 |
| 77 | MATRALAKU | 19 | 54 | 10.876 | 83 | 32 | 56.4 |
| 78 | UDELMASKA | 19 | 54 | 21.244 | 83 | 33 | 7.286 |
| 79 | MANDURA | 19 | 55 | 5.304 | 83 | 33 | 16.098 |
| 80 | BIKAPANGA | 19 | 53 | 45.995 | 83 | 33 | 32.167 |
| 81 | DHAMANAPANGA | 19 | 53 | 8.155 | 83 | 34 | 5.86 |
| 82 | BILAMAL | 19 | 53 | 32.518 | 83 | 34 | 44.738 |
| 83 | KARANJIKANA | 19 | 53 | 59.991 | 83 | 34 | 23.485 |
| 84 | KHADAPANGA | 19 | 53 | 31.481 | 83 | 35 | 27.243 |
| 85 | DHUDUSI | 19 | 52 | 44.828 | 83 | 35 | 36.574 |
| 86 | SAPERA | 19 | 51 | 57.657 | 83 | 35 | 19.468 |
| 87 | JUBENAL | 19 | 53 | 51.697 | 83 | 35 | 37.092 |
| 88 | RAJAM | 19 | 53 | 31.999 | 83 | 36 | 4.047 |
| 89 | PAIKAKAPADA | 19 | 53 | 59.991 | 83 | 36 | 4.565 |
| 90 | BURLUBARU | 19 | 55 | 2.712 | 83 | 35 | 38.129 |
| 91 | KUSUMUNDA | 19 | 55 | 48.847 | 83 | 35 | 42.794 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | JHALIPADA | 19 | 56 | 4.916 | 83 | 36 | 0.418 |
| 93 | BELGHAR | 19 | 55 | 31.222 | 83 | 36 | 10.267 |
| 94 | TUAKOLA | 19 | 56 | 12.173 | 83 | 36 | 39.296 |
| 95 | RANGAPARU | 19 | 56 | 59.344 | 83 | 35 | 50.051 |
| 96 | SANATUAKELA | 19 | 57 | 38.739 | 83 | 36 | 0.937 |
| 97 | SANAKUMUDI | 19 | 56 | 42.756 | 83 | 36 | 50.699 |
| 98 | SADANGI | 19 | 57 | 41.331 | 83 | 34 | 35.925 |
| 99 | DESHUGHATI | 19 | 57 | 4.527 | 83 | 33 | 28.538 |
| 100 | MUNDATI | 19 | 56 | 31.352 | 83 | 33 | 47.718 |
| 101 | ADILIPA | 19 | 57 | 38.739 | 83 | 32 | 38.776 |
| 102 | SANAJHIRIPANI | 19 | 57 | 47.033 | 83 | 32 | 11.821 |
| 103 | LALAKUTI | 19 | 57 | 28.372 | 83 | 31 | 48.495 |
| 104 | BATANGAPADAR | 19 | 57 | 47.551 | 83 | 31 | 36.572 |
| 105 | BARAGAN | 19 | 57 | 54.29 | 83 | 31 | 14.283 |
| 106 | BARAGUDA | 19 | 58 | 25.392 | 83 | 31 | 37.091 |
| 107 | THIRIPANI | 19 | 58 | 36.796 | 83 | 32 | 27.89 |
| 108 | MENDHABARU | 19 | 59 | 2.196 | 83 | 31 | 54.715 |
| 109 | SIKAKI | 19 | 58 | 1.029 | 83 | 32 | 50.18 |
| 110 | SURANGABARU | 19 | 59 | 28.114 | 83 | 33 | 1.065 |
| 111 | KAUGUDA | 19 | 59 | 28.632 | 83 | 32 | 33.074 |
| 112 | SARADAPUR | 19 | 59 | 19.301 | 83 | 32 | 0.935 |
| 113 | SURUDA | 19 | 59 | 16.191 | 83 | 30 | 34.369 |
| 114 | JARAPA | 19 | 56 | 12.173 | 83 | 32 | 20.115 |
| 115 | KULUNJA | 19 | 56 | 42.756 | 83 | 31 | 42.274 |
| -116 | TIKORAPADA | 19 | 56 | 58.307 | 83 | 30 | 58.732 |
| 117 | NANIUTI ' | 19 | 57 | 10.229 | 83 | 30 | 24.002 |
| 118 | TARGABALI | 19 | 59 | 20.338 | 83 | 34 | 46.293 |
| 119 | GURULIMASKA | 19 | 59 | 3.751 | 83 | 35 | 8.064 |
| 120 | BATIPADA | 19 | 58 | 39.906 | 83 | 35 | 47.978 |
| 121 | MALAK | 19 | 58 | 26.947 | 83 | 37 | 36.315 |
| 122 | KUMUDI | 19 | 57 | 30.964 | 83 | 37 | 6.25 |
| 123 | GERMEL | 19 | 57 | 23.707 | 83 | 37 | 49.793 |
| 124 | TARLANGI | 19 | 57 | 59.474 | 83 | 38 | 40.074 |
| 125 | PIKUSI | 19 | 57 | 16.45 | 83 | 39 | 13.249 |
| 126 | USABALI | 19 | 56 | 16.838 | 83 | 39 | 33.983 |
| 127 | SANAGHHOKA | 19 | 55 | 37.443 | 83 | 39 | 42.796 |
| 128 | BADGOCH HAKA | 19 | 54 | 13.986 | 83 | 39 | 28.8 |
| 129 | DEOGADA | 19 | 55 | 11.006 | 83 | 37 | 57.568 |
| 130 | KADAPANA | 19 | 54 | 59.084 | 83 | 37 | 2.103 |
| 131 | KADAMA | 19 | 55 | 6.341 | 83 | 40 | 42.407 |
| 132 | GUDGUDA | 19 | 56 | 36.018 | 83 | 40 | 18.044 |
| 133 | GHUMURAGAN | 19 | 58 | 13.988 | 83 | 40 | 15.971 |
| 134 | PINGADI | 19 | 58 | 10.359 | 83 | 39 | 13.767 |
| 135 | SELANGI | 19 | 59 | 3.232 | 83 | 39 | 3.4 |
| 136 | MATRUGAN | 19 | 59 | 18.783 | 83 | 41 | 4.697 |
| 137 | GACHERGAN | 19 | 58 | 46.126 | 83 | 41 | 4.697 |
| 138 | JALESEPETA | 19 | 59 | 34.334 | 83 | 42 | 53.553 |
| 139 | SARADHAPUR | 19 | 59 | 5.306 | 83 | 43 | 25.691 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | MANAPUR | 19 | 58 | 35.759 | 83 | 43 | 26.728 |
| 141 | NUAMUNDA | 19 | 59 | 3.751 | 83 | 42 | 39.038 |
| 142 | BENARBAHAL | 19 | 58 | 27.465 | 83 | 42 | 29.708 |
| 143 | TUMUDIBANDHA | 19 | 57 | 26.299 | 83 | 42 | 18.304 |
| 144 | KALISAPADAR | 19 | 56 | 42.238 | 83 | 42 | 46.814 |
| 145 | BHALIAPAN I | 19 | 55 | 51.957 | 83 | 42 | 57.7 |
| 146 | KAKALANGA | 19 | 55 | 37.443 | 83 | 42 | 49.406 |
| 147 | BADAM I LA | 19 | 59 | 28.632 | 83 | 45 | 8.327 |
| 148 | SAMADAKISARU | 19 | 59 | 23.448 | 83 | 45 | 37.355 |
| 149 | SIRLA | 19 | 58 | 13.988 | 83 | 45 | 47.204 |
| 150 | BIRIMILA | 19 | 58 | 25.392 | 83 | 45 | 4.18 |
| 151 | TAI PADA | 19 | 57 | 13.858 | 83 | 45 | 33.208 |
| 152 | PI DAMAHA | 19 | 55 | 35.369 | 83 | 46 | 45.779 |
| 153 | BALIGUDA | 19 | 57 | 24.225 | 83 | 50 | 17.27 |
| 154 | KUTI BAD I | 19 | 55 | 56.622 | 83 | 50 | 47.335 |
| 155 | JARGI GU DA | 19 | 54 | 35.239 | 83 | 50 | 40.078 |
| 156 | PIDURUMILA | 19 | 54 | 47.162 | 83 | 51 | 32.951 |
| 157 | PI LI MAHA | 19 | 53 | 39.775 | 83 | 51 | 49.539 |
| 158 | BATAR I | 19 | 53 | 44.44 | 83 | 54 | 8.978 |
| 159 | GAHIGUDA | 19 | 53 | 39.256 | 83 | 54 | 51.483 |
| 160 | GAHIGUDA JANGAL | 19 | 53 | 22.669 | 83 | 55 | 20.512 |
| 161 | MAKADALA | 19 | 52 | 15.282 | 83 | 54 | 43.708 |
| 162 | KASARDADI | 19 | 52 | 45.865 | 83 | 57 | 20.253 |
| 163 | RAN I PANGA | 19 | 53 | 0.897 | 83 | 57 | 33.731 |
| 164 | JHIMABADI | 19 | 53 | 19.04 | 83 | 58 | 48.375 |
| 165 | MANAJARBADI | 19 | 52 | 43.273 | 83 | 58 | 34.897 |
| 166 | PETERABADI | 19 | 52 | 46.383 | 83 | 59 | 55.762 |
| 167 | SRI PAKHALA | 19 | 51 | 54.547 | 84 | 1 | 10.406 |
| 168 | KUPIBADI | 19 | 51 | 6.34 | 84 | 1 | 33.732 |
| 169 | ATINIBADI | 19 | 48 | 46.9 | 84 | 0 | 33.084 |
| 170 | BADAI NG IA | 19 | 48 | 43.79 | 83 | 59 | 56.798 |
| 171 | SAPANABADI | 19 | 48 | 22.019 | 83 | 59 | 41.766 |
| 172 | GAHAKIA | 19 | 47 | 23.962 | 84 | 1 | 48.765 |
| 173 | SONAPUR | 19 | 46 | 44.567 | 84 | 2 | 41.119 |
| 174 | DABEDI | 19 | 47 | 28.109 | 84 | 2 | 39.046 |
| 175 | MACH HADAPANGA | 19 | 45 | 17.482 | 84 | 2 | 15.201 |
| 176 | TAJUNGIA | 19 | 44 | 15.279 | 84 | 2 | 3.279 |
| 177 | KALINGI | 19 | 43 | 49.361 | 84 | 1 | 44.099 |
| 178 | SHIKABADI | 19 | 43 | 16.704 | 84 | 0 | 15.978 |
| 179 | DH USARI GAN | 19 | 43 | 29.145 | 83 | 59 | 2.889 |
| 180 | SRAMBI | 19 | 45 | 11.78 | 83 | 57 | 33.731 |
| 181 | KAN DAGU DA | 19 | 44 | 0.246 | 83 | 55 | 17.402 |
| 182 | GOURIGAN | 19 | 43 | 55.581 | 83 | 54 | 4.831 |
| 183 | JUBAGUDA | 19 | 43 | 59.21 | 83 | 53 | 16.623 |
| 184 | KUCHIMILA | 19 | 44 | 6.467 | 83 | 52 | 48.632 |
| 185 | SRIRAMPUR | 19 | 44 | 37.05 | 83 | 53 | 35.803 |
| 186 | PATAMA | 19 | 45 | 38.217 | 83 | 53 | 17.66 |
| 187 | SURUGUDA | 19 | 46 | 22.796 | 83 | 52 | 48.632 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | BERMAA | 19 | 46 | 32.645 | 83 | 53 | 59.647 |
| 189 | BUDHABERMA | 19 | 47 | 9.967 | 83 | 53 | 32.692 |
| 190 | KUPUDAMAHA | 19 | 47 | 32.256 | 83 | 51 | 37.616 |
| 191 | PANGAMAHA | 19 | 47 | 56.619 | 83 | 52 | 5.089 |
| 192 | MAR LANG | 19 | 48 | 32.386 | 83 | 53 | 54.982 |
| 193 | SITAGUDA | 19 | 49 | 0.896 | 83 | 54 | 48.892 |
| 194 | MALAGUDA | 19 | 49 | 57.916 | 83 | 54 | 36.451 |
| 195 | DURIKUPUDA | 19 | 49 | 53.769 | 83 | 55 | 29.324 |
| 196 | ORA | 19 | 47 | 28.109 | 83 | 50 | 56.147 |
| 197 | DUDUMA | 19 | 47 | 40.032 | 83 | 50 | 33.858 |
| 198 | DUABADA | 19 | 47 | 8.412 | 83 | 49 | 44.613 |
| 199 | PILERI | 19 | 46 | 25.388 | 83 | 49 | 20.769 |
| 200 | MALAGUDA | 19 | 47 | 0.118 | 83 | 47 | 46.945 |
| 201 | KAMAGU DA | 19 | 48 | 35.496 | 83 | 47 | 57.313 |
| 202 | GAJINAJU | 19 | 49 | 8.671 | 83 | 47 | 42.798 |
| 203 | SIRING | 19 | 47 | 18.26 | 83 | 46 | 15.195 |
| 204 | DURINGI | 19 | 47 | 54.546 | 83 | 45 | 53.942 |
| 205 | MARDIGUDA | 19 | 47 | 58.174 | 83 | 45 | 21.286 |
| 206 | KOTAGADA | 19 | 50 | 11.912 | 83 | 43 | 18.434 |
| 207 | MADANGI | 19 | 49 | 45.475 | 83 | 44 | 35.67 |
| 208 | KESHARGU DA | 19 | 49 | 16.447 | 83 | 44 | 28.413 |
| 209 | JAMJORI | 19 | 48 | 34.46 | 83 | 43 | 4.438 |
| 210 | NUAPADAR | 19 | 48 | 32.386 | 83 | 43 | 57.829 |
| 211 | DENGAGUDA | 19 | 48 | 8.542 | 83 | 44 | 18.564 |
| 212 | NUAGAN | 19 | 47 | 44.697 | 83 | 42 | 49.924 |
| 213 | RADIGUMA | 19 | 46 | 32.126 | 83 | 42 | 32.818 |
| 214 | SINAGUDA | 19 | 46 | 18.13 | 83 | 43 | 11.695 |
| 215 | ADANGAMALA | 19 | 46 | 39.902 | 83 | 43 | 50.054 |
| 216 | GUMUPADAR | 19 | 46 | 6.208 | 83 | 44 | 31.005 |
| 217 | LASERI | 19 | 44 | 55.711 | 83 | 41 | 53.423 |
| 218 | MADAGUDI | 19 | 45 | 19.037 | 83 | 42 | 19.859 |
| 219 | SARLIGUDA | 19 | 45 | 27.849 | 83 | 43 | 26.209 |
| 220 | BANDURU | 19 | 45 | 7.633 | 83 | 44 | 47.074 |
| 221 | MASKAPANGA | 19 | 44 | 1.283 | 83 | 44 | 24.266 |
| 222 | DHARAKOTA | 19 | 44 | 6.985 | 83 | 44 | 47.592 |
| 223 | RI NDABALI | 19 | 42 | 40.937 | 83 | 43 | 2.883 |
| 224 | JUDABALI | 19 | 43 | 46.769 | 83 | 43 | 2.365 |
| 225 | RETABALI | 19 | 43 | 23.443 | 83 | 41 | 43.055 |
| 226 | GETABALI | 19 | 43 | 48.324 | 83 | 41 | 58.088 |
| 227 | GHRITI | 19 | 42 | 33.162 | 83 | 43 | 56.793 |
| 228 | HARIPUR | 19 | 41 | 49.364 | 83 | 43 | 5.993 |

**Annexure IV**

**Proforma of Action Taken Report: Monitoring Committee**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.31 09:43:07 +05'30'